



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181031

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 3779 सन् 2026**

किशोर एक्स

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

---

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीक्षा केसरवानी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 78**

**न्यायमूर्ति माननीय सुभाष चंद्र शर्मा**

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपालन शपथपत्र के अनुसार, सूचनाकर्ता को नोटिस की तामील पहले ही किया जा चुका है, किंतु राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अतिरिक्त उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
2. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथा किशोर न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 60 सन् 2026 ("एक्स" बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित दिनांक 27.5.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 365 सन् 2022, धारा 377, 511 भारतीय दंड संहिता एवं (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) की धारा 3/4, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में पारित दिनांक 21.4.2026 के आदेश को अपास्त किया जाए तथा आगे यह कृपा की जाए कि मुकदमा अपराध संख्या 365 सन् 2022, धारा 377, 511 भारतीय दंड संहिता एवं (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) की धारा 3/4, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में किशोर न्याय बोर्ड, मुजफ्फरनगर के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान किशोर को उसके पिता अर्थात् सुलेमान की अभिरक्षा में रिहा किया जाए।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता की आयु लगभग 14 वर्ष है और वह 22.10.2022 से संप्रेक्षण गृह में है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, जिस पर सूचनाकर्ता द्वारा विरोध प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसे परिवाद के रूप में माना गया और पुनरीक्षणकर्ता को धारा 377/511 भारतीय दंड संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के अपराध के लिए समन किया गया। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पीड़ित के साथ ऐसा अपराध कारित किया गया था। ऐसे अपराध के कारित किए जाने को दर्शाने वाली कोई चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं है। जिला परीवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपचारी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22.10.2022 से संप्रेक्षण गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, इसलिए विद्वान किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण हैं और अपास्त किए जाने योग्य हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।
6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़ित एवं अपचारी की आयु, पीड़ित के कथन तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों और जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपना न्यायिक विवेक लागू किए बिना आदेश पारित किया। इस प्रकार, वर्तमान पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।
7. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 21.04.2026 को तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2026 को पारित आदेश एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकृत** किया जाता है।
8. यह निर्देशित किया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रत्येक संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा तथा आगे पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक आगे इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि किशोर उपयुक्त स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर तथा पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा तथा नियमित रूप से उसकी सामाजिक विवेचना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

अगस्त 31, 2026

जी.एस.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”